

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शितसुशांत कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर अन्तर्गत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के अन्तर्गत दरियाचक चेक डैम का निर्माण कार्य, दोस्तानी अराजी वीयर का निर्माण कार्य, फाजिलपुर वीयर का निर्माण कार्य, तरछा वीयर का निर्माण कार्य एवं अगरपुर माछीपुर वीयर का निर्माण कार्य हेतु कुल रुपये 1394.867 लाख (तिरह करोड़ चौरान्चे लाख छियासी हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर अन्तर्गत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के अन्तर्गत दरियाचक चेक डैम का निर्माण कार्य, दोस्तानी अराजी वीयर का निर्माण कार्य, फाजिलपुर वीयर का निर्माण कार्य, तरछा वीयर का निर्माण कार्य एवं अगरपुर माछीपुर वीयर का निर्माण कार्य हेतु कुल रुपये 1394.867 लाख (तिरह करोड़ चौरान्चे लाख छियासी हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	दरियाचक चेक डैम का निर्माण कार्य, दोस्तानी अराजी वीयर का निर्माण कार्य, फाजिलपुर वीयर का निर्माण कार्य, तरछा वीयर का निर्माण कार्य एवं अगरपुर माछीपुर वीयर का निर्माण कार्य	भागलपुर	गोराडीह	1394.867	740

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ध्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक-17.04.98

एवं 800 वि०(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि०, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक- ~~18~~ 12.2024 को संचिका संख्या- सं०सं०- ल०सं०मो०-AA/HKKP/ भागलपुर/871/2024 के पृ०-08/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या- सं०सं०- ल०सं०मो०-AA/HKKP/ भागलपुर/871/2024 के पृ०-...10.../टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन


(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

20

पटना, दिनांक-

01.01.25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, भागलपुर /कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक-

20

पटना, दिनांक-

सरकार के अपर सचिव

01.01.25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु०), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक-

20

पटना, दिनांक-

सरकार के अपर सचिव

01.01.25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव